कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस,चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक /स्था/राज/विज्ञप्त/24/1829 जबलपुर, दिनांक 27/02/2024

//विज्ञप्ति//

1. मध्यप्रदेश भासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वशासी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर हेतु दिनांक 12/04/2022 को जारी नवीन अनुसूचियों के अनुसार स्टेट कैंसर इंस्टीटयूट, चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन विभिन्न विभागों में रिक्त प्राध्यापक एवं सह–प्राध्यापक के पदों की पूर्ति की जाना है। आवेदन पत्र की पात्रता सिर्फ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर एवं चिकित्सालय से संबद्ध अस्पताल में पदस्थ उन्हीं चिकित्सकों को होगी जो कि शासन/एनएमसी द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हों। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (स्वशासी समिति) चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में दिनांक 13/03/2024 सायं 5:30 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की वेबसाईट **www.nscbmc.ac.in** पर उपलब्ध है ।
2. आवेदन पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। रिक्तियॉ निम्नानुसार हैः–

PROFESSOR					
S.NO	NAME OF SUBJECT	UR	ST	SC	OBC
1.	ANAESTHESIOLOGY	01	-	-	-
2.	PLASTIC SURGERY	01	-	-	-
3.	SURGICAL ONCOLOGY	01	-	-	-
	TOTAL	03	-	-	-

ASSOCIATE PROFESSOR					
S.No	Name of Subject	UR	ST	SC	OBC
1.	PATHOLOGY	01	-	-	-
2.	PLASTIC SURGERY	01	-	-	-
	TOTAL	02	-	-	-

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

नोटः– 1. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

2. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाईट पर **www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध है।**
3. विज्ञापित पदो के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतियां रहेंगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा मे नियुक्ति के संबंध मे अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।

Dean
Medical College Jabalpur

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (स्वशासी समिति)
चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

1. वेतनमान –

प्राध्यापक – पुनरीक्षित वेतनमान एकेडमिक लेवल **14** के समकक्ष

सह–प्राध्यापक – पुनरीक्षित वेतनमान एकेडमिक लेवल **13-A** के समकक्ष

टीप – समस्त पदो के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होगे।

2. आयु सीमा –		न्यूनतम	अधिकतम
प्राध्यापक	–	35 वर्ष	62 वर्ष
सह–प्राध्यापक	–	30 वर्ष	62 वर्ष

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी 2024 के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

- **जाति प्रमाण पत्र** : **आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।**

4. **शैक्षणिक अर्हताये** :–

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

5. निरर्हतायें–

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

निरंतरः–03

Dean
Medical College, Jabalpur

6. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
7. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।
8. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
9. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि** :–स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र दिनांक 13/03/2024 सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
10. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
11. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर मध्यप्रदेश की वेबसाईट **www.nscbmc.ac.in** पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को अनिवार्यतः पूर्ण करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। बिंदु क्र. 05 के संबंध में चयन उपरांत 07 कार्यालयीन दिवस में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्यः है।

Dean
Medical College, Jabalpur
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (स्वशासी समिति)
चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर